न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/01/2021

अपीलार्थीः–
श्री सन्तोष मीना, 9/743 लोधी कालोनी नई दिल्ली–110003

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 02–02–2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के तहत प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 06.11.2020 के संबंध में आवेदन में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाऐं दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वॉछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 12.01.21 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 85–86 दिनांक 12.01.21 के माध्यम से जबाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा0पत्र दिनांक 06.11.2020 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट, अलवर को यू.ओ. नोट संख्या 186 दिनांक 11.11.20 के माध्यम सें संबंधी आवेदन में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी–किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई जबाव प्रस्तुत नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर के माध्यम से कोई जबाव उपलब्ध नहीं कराया गया। प्रथम अपील प्रस्तुत करने तक अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है–जो सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि, यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। सम्बन्धित से सूचना उपलब्ध करने में हुए विलम्ब का भी स्पस्ट कारण लिया जावें। अपील अपीलांट स्वीकार होने योग्य है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. प्रायः यह देखने में आया है कि प्रभारी अधिकारी राजस्व प्रकोष्ठ कलक्ट्रेट अलवर के विरूद्व पेश होने वाली अपीलों में लोक सूचना अधिकारी द्वारा यू.ओ. नोट जारी करने के पश्चात् यू.ओ. नोट का जबाव प्राप्त होता है, यू.ओ. नोट का जवाब प्राप्त न होने की स्थिति में प्रायः अपीलें स्वीकार करनी पडती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि प्राप्त अपीलों में जारी नोटिस के उपरान्त जबाव प्रस्तुत करने की कार्यवाही द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. निर्णय आज **दिनांक 02.02.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर अलवर